संख्या-149/2021/3253/26-3-2021-10(19)/2011

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर के लाल डिग्गी के स्थान पर नवीन राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-768/स0क0/विकास/छात्रावास/2021-22, दिनांक-03.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा संचालित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर के लाल डिग्गी के स्थान पर नवीन राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-75.00 लाख तथा उक्त के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुये वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर के लाल डिग्गी के स्थान पर नवीन राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-491.15 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि रू0-75.00 लाख एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0-75.00 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू0-150.00 लाख (रू0-एक करोड़ पचास लाख मात्र)** की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(4) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम् बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(14) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा ।

(15)- प्रश्नगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020, दिनांक-12.05.2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जाति/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-0104-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण (के.50 प्रतिशत/रा.50-के.$रा.)-24-वृहद निर्माण मद' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-2820-दस/2021-2022, दिनांक-14.12.2021 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृसं0-149/2021/3253 (1)/26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0।

10- गार्डफाइल

आज्ञा से,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।